फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री तेजा — विपक्षी : श्री बाबु

किस्म मुकदमा – 88,63(1)(4) रा0का0अ0 — पत्रावली संख्या : 61/18

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक :– 20.07.2023

पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल डांगी उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। प्रकरण में वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। वादपत्र के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता/पति रोडा के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। रोडा वर्तमान में फौत हो चुका हैं। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री तेजा का पेश किया। वादीगण द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 से 8, भू.प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी नकल प्रदर्श 9 से 24, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.08.1966 प्रदर्श 25, महकमा बन्दोबस्त जागीरत राज्य उदयपुर मेवाड हासिल की प्रति प्रदर्श 26 से 30 भू.प्रबन्ध विभाग फर्द इन्द्राज खसरा नकल प्रदर्श 31 से 32, जमाबन्दी खतौनी प्रदर्श 33 से 38 पेश किये। दस्तावेज एवं पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता/पति रोडा के नाम दर्ज थी जिसे रोडा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.08.1966 से वादीगण के मौरूस हीरा, जेता पिता उदा, भज्जा पिता हेमा, देवा, प्रथा, दोला पिता कन्ना को साबिक नम्बर 46/1, 1996, 1997, 1877/2, 1990 मी., 1996 मी., 1997 मी., 211, 92, 1992 मी., 88, 87, 59, 189, 83, 1824, 2066/1, 2172, 2173, 1945 में से अपना कुलिया हिस्सा विक्रय किया था, उक्त साबिक नम्बर के वर्तमान आराजी नम्बर 461(46/1), 1493(1996, 1997), 1544, 1545(1877/2), 1889(1990 मी.), 1890(1996 मी.), 1891(1997 मी.), 367(211), 481(92), 1897(1992 मी.), 489(88), 490(87), 494(59), 533(189), 492(83), 1380, 1381(1824), 1579, 1580(2066/1), 1802(2172), 1803(2173), 1933, 1934 (1945) बने जो मिलान खसरा से स्पष्ट होता हैं। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त विक्रय होने की एवं वर्तमान में क्रेता एवं विक्रेता के स्वर्गवास होने की पुष्टि अपनी रिपोर्ट कर की है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण रजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 461 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 1493, 1544, 1545, 1889 से 1891 किता 6 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 367 रकबा 15 बीघा, आराजी नम्बर 481 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 1897 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 489, 490, 494, 533 किता 4 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 492 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 1380, 1381, 1579, 1580, 1802, 1803, 1933, 1934 किता 8 रकबा 9 बीघा भूमि में खातेदार स्वर्गीय रोडा पिता वरदा के बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.08.1966 के आधार पर क्रेता हीरा, जेता पिता उदा, भज्जा पिता हेमा, देवा, प्रथा, दोला पिता कन्ना के वारिस वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:38:58 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 61/18 (वाद) GCMS No. : 2018/00082

उनवान

1. श्री तेजा पिता रामा डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
2. श्री रूपा पिता रामा डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
3. श्रीमती गटु पुत्री रामा पत्नी हेमा डांगी निवासी सियोल तह. नाथद्वारा।
4. श्री गणेश पिता सुखा डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
5. श्री मांगीलाल पिता सुखा डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
6. श्री टीलाराम पिता सुखा डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
7. श्रीमती झमकु पुत्री सुखा पत्नी नारायण डांगी निवासी कुरूमडों का ढाणा तह. नाथद्वारा।
8. श्री भंवर पिता खेमा डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
9. श्री विजयराम पिता खेमा डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
10. श्रीमती पपुडी पुत्री खेमा पत्नी राजेश डांगी निवी बिलोता तह. नाथद्वारा।
11. श्रीमती रोडी पुत्री खेमा पत्नी तेजा डांगी निवासी सोडावास तह. नाथद्वारा।
12. श्रीमती तुलसी पत्नी खेमा डांगी निवासी मटाटा, तह. गिर्वा।
13. श्री भेरा पिता जेता डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
14. श्री नारू पिता धुला डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
15. श्री सवा पिता धुला डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
16. श्री प्रकाश पिता धुला डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
17. श्रीमती वरजु पुत्री धुला पत्नी अमरा डांगी निवासी बिलोता तह. नाथद्वारा।
18. श्रीमती जेती पुत्री धुला पत्नी रामा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
19. श्रीमती खेमणी पत्नी धुला डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
20. श्री देवा पिता कना डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
21. श्री डालु पिता दोला डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
22. श्री नाथु पिता दोला डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
23. श्री भोलीराम पिता दोला डांगी निवासी मांगथला तह. मावली।
24. श्रीमती मोहनी पुत्री दोला पत्नी प्यारा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
25. श्रीमती कमला पुत्री दोला पत्नी हीरा डांगी निवासी वरतलाई मांगथला तह. मावली।
26. श्रीमती उदीबाई पत्नी दोला डांगी निवासी मांगथला तह. मावली। ....वादीगण

बनाम

1. श्री बाबु पिता रोडा डांगी निवासी मटाटा तह. गिर्वा।
2. श्रीमती बेनी पुत्री रोडा पत्नी भंवर डांगी निवासी मटाटा तह. गिर्वा।
3. श्रीमती डाली पत्नी रोडा डांगी निवासी मटाटा तह. गिर्वा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली। ....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 461 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 1493, 1544, 1545, 1889 से 1891 किता 6 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 367 रकबा 15 बीघा, आराजी नम्बर 481 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 1897 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 489, 490, 494, 533 किता 4 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 492 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 1380, 1381, 1579, 1580, 1802, 1803, 1933, 1934 किता 8 रकबा 9 बीघा भूमि में खातेदार स्वर्गीय रोडा पिता वरदा के बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09. 08.1966 के आधार पर क्रेता हीरा, जेता पिता उदा, भज्जा पिता हेमा, देवा, प्रथा, दोला पिता कन्ना के वारिस वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

Signature Not Verified

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज ता. [illegible] 20 [illegible] 2023 को जारी की गई।

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:38:58 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली